प्रेस विज्ञप्ति

07 अक्टूबर, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निम्नलिखित बयान जारी किया:–

कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा लाया गया जीएसटी सरल और पारदर्शी होने के साथ महंगाई घटाने वाला था। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाया गया जीएसटी न केवल समझने में कठिन है, बल्कि इसने बाजार में अव्यवस्था फैला दी है, जिससे साफ होता है कि वर्तमान केंद्र सरकार के नौसिखिएपन ने एक सुनहरा मौका देश के हाथों से गंवा दिया। नोटबंदी की भारी भूल के बाद देश के सबसे महत्वपूर्ण टैक्स संशोधन द्वारा भारत के जीडीपी में 2 प्रतिशत वृद्धि करने का मौका भी इस सरकार के नाकारापन ने एक बड़े 'दुर्भाग्य' में बदल दिया।

श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का अहंकार इस हद तक बढ़ गया कि भाजपा के नेताओं ने इस बात को ही खारिज कर दिया कि जीएसटी लागू करने में हुई अव्यवस्था के चलते रोजगार व व्यापार ठप्प पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर पड़ी। हम सरकार द्वारा कुछ वर्गों को दी गई अंतरिम राहत का स्वागत करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार निष्पक्ष व पारदर्शी परामर्श लेकर जीएसटी के संरचनागत मुद्दों का समाधान करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।

जीएसटी बना कोरा मजाक – उलझनभरी व्यवस्था व टैक्स की अनेकों दरें

1. भाजपा ने **'एक देश, एक टैक्स'** का जुमला देकर **'एक देश, सात टैक्स'** और कहीं–कहीं इससे भी ज्यादा टैक्स दरें लागू कर दीं, यानि अब व्यापारियों को 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% और 40% के टैक्स देने पड़ रहे हैं। **भारत में जीएसटी दरें दुनिया में सबसे अधिक हैं।** यहां तक कि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी केवल दो दरों, 15% और 15.25% की टैक्स दर की सिफारिश की थी। इसके बाद भी राज्यों को जीएसटी के अलावा अन्य टैक्स लगाने की छूट भी दे दी गई है, जैसा कि तमिलनाडु ने एंटरटेनमेंट टैक्स और महाराष्ट्र ने रजिस्ट्रेशन टैक्स लगाकर किया। प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री कानून बनाने में की गई इस गलती का समाधान करने में विफल साबित हुए।

   एकल जीएसटी का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड दर तथा स्टैंडर्ड प्लस दर (डिमेरिट गुड्स पर) और एक स्टैंडर्ड माईनस दर (मेरिट गुड्स पर)। अगर जीएसटी कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया होता, तो जीएसटी की अधिकतम सीमा 18% तय करके इस मॉड्यूल में काम किया जाता।
2. प्रधानमंत्री/वित्तमंत्री और भारत सरकार ने अभी भी **पेट्रो उत्पादों, बिजली और रियल ईस्टेट को जीएसटी के दायरे** में लाने का कोई भी संकेत या प्रारूप नहीं दिया है, जिसकी मांग बाजार के विशेषज्ञ तथा कांग्रेस पार्टी लगातार कर रहे हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है

कि भारत सरकार केवल पेट्रो उत्पादों पर लगाए टैक्स से हर साल 2,73,000 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित करती है।

3. **सरकार फैसले करने में नाकाम; मोहलत पर मोहलत और टालमटोल बने सरकार की पहचान**

टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) एवं टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) का क्रियान्वयन 31.03.2018 तक टाल दिया गया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम)– जिसमें जीएसटी, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति या अनरजिस्टर्ड इकाई से खरीद करने वाले व्यक्ति को जमा कराना होता है– को भी 31.03.2018 तक टाल दिया गया है। 'ई–वे बिल' की मोहलत 01.04.2018 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस व्यवस्था का प्रारूप और टेक्नॉलॉजी अभी भी विकसित हो रहे हैं। अकेले 2017 में आउटस्टैंडिंग टैक्स रिफंड मांग 65,000 करोड़ रु. हो जाने के चलते टैक्स रिफंड सिस्टम टूट गया है। निर्यातक खतरे में हैं, निर्यात पर छूट 31.03.2018 तक 'ईवॉलेट सिस्टम' लागू होने तक बढ़ा दी गई है। एक दूरदर्शी स्पष्ट निर्णय के अभाव में सरकार द्वारा आज किए गए ये सारे लुभावने वायदे एक मृगमरीचिका हैं।

4. यहां तक कि **'कंपोज़िशन स्कीम'** के लिए वार्षिक एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ाकर **75 लाख से 1 करोड़ करने से भी छोटे एवं मंझले उद्योगों को संतोषजनक राहत नहीं मिल सकी।** जीएसटी से पहले, साल 2006 में सेंट्रल एक्साईज़ के तहत यह सीमा 1.5 करोड़ रु. तय की गई थी। महंगाई को देखते हुए आज यह सीमा कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए थी। साथ ही यह सीमा केवल वस्तुओं के लिए थी, जबकि जीएसटी में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में जीएसटी के दायरे में आने वाले छोटे उद्योगों के लिए इसका अनुपालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

5. **<u>खेती–बाडी पर लगाया टैक्स – भाजपा का किसान–विरोधी चेहरा बेनक़ाब</u>**

जहां भारत का किसान उचित एमएसपी तथा कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए जूझ रहा है। वहीं भाजपा सरकार ने जीएसटी के माध्यम से किसान और खेती–बाड़ी पर दोहरी मार मारते हुए टैक्स लगा दिया है। खाद पर 1.03 प्रतिशत का सेंट्रल एक्साईज़ टैक्स लगता था, जो जीएसटी के तहत बढ़कर अब 5 प्रतिशत हो गया है। ट्रैक्टर एवं सभी कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया गया। पीछे के दरवाजे से टायरों, ट्यूब, इंजन और ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के पुर्जों पर 28 प्रतिशत का टैक्स थोप दिया गया। पानी खींचने के पंप, सबमर्सिबिल पंप, गहरे ट्यूब वेल और डीजल इंजन पर जीएसटी घटाए जाने के बाद भी 18 प्रतिशत है। कीटनाशकों तथा खेती बाड़ी के लिए आवश्यक वस्तुओं पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया। यहां तक कि कोल्ड स्टोर एवं फूड ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम पर भी 18 प्रतिशत का जीएसटी लगाया गया है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले इस सेक्टर को कोई भी राहत न दिए जाने से मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है।

6. **<u>कपडा उद्योग पर सबसे कडा प्रहार</u>**

कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। जीएसटी की मनमानी ड्यूटी संरचना से इस सेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और छोटे, लघु एवं मध्यम निर्माताओं, कारोबारियों, कपड़ा व्यापारियों तथा दुकानदारों की रोजी–रोटी बंद हो रही है। देशव्यापी विरोध के बाद कल मैनमेड फाईबर पर ड्यूटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया। मोदी सरकार के नौसिखिएपन का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि जहां फाईबर पर 12 प्रतिशत का जीएसटी है, वहीं इसके अंतिम उत्पाद यानि फैब्रिक पर जीएसटी केवल 5 प्रतिशत है। इससे मैनमेड फाईबर (70 प्रतिशत) की नॉन–इंटीग्रेटेड

टेक्सटाईल कंपनियों का कारोबार ठप्प पड़ जाएगा, जबकि कपड़ा उद्योग की बड़ी कंपनियां भारी मुनाफा कमाएंगी। चौंकानेवाली बात तो यह है कि एक तरफ भारतीय फैब्रिक निर्माताओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार ने चीन, बंग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देशों से मंगाए जाने वाले आयातित फैब्रिक पर केवल 5 प्रतिशत का टैक्स लगाया है, जिससे भारत में कपड़ा उद्योग की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी।

7. **<u>दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर बेतहाशा टैक्स</u>**

आम जनता को कहीं राहत नहीं है। 'रोटी, कपड़ा और मकान' पर बेतहाशा टैक्स लगाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार ने आम जनता की जिंदगी दूभर कर दी है। इसकी सूची नीचे दी गई है :–

वस्तुएं	जीएसटी के तहत टैक्स
शैंपू, डियोड्रेंट	28%
एसी / टीवी / वॉशिंग मशीन	28%
फर्नीचर	28%
कंप्यूटर / मल्टी–फंक्शनल प्रिंटर	28%
100 रु. से अधिक मूल्य के मूवी टिकट	28%
वाहनों की ईएमआई	28%
चेसबोर्ड / योगा मैट	28%
फूड एवं बेवरेज	18%
क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान एवं सभी बैंकिंग सेवाएं	18%
इंश्योरेंस प्रीमियम एवं वित्तीय सेवाएं, टेलीफोन	18%
हेलमेट	18%
कोचिंग क्लास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट	18%
टूर एवं ट्रैवल	18%
आईस्क्रीम / हेयरऑईल / टूथपेस्ट / साबुन / सूप / कॉर्न फ्लेक्स	18%
फोटो–वोल्टेईक सेल	18%
डायलिसिस / ब्लड टेस्ट / एक्सरे / अल्ट्रासाउंड आदि	12% to 18%
चाय / कॉफी / बटर / बिस्कुट / दही / मिठाई / जूस	12% to 28%
महिलाओं के सैनिटरी नैपकिंस / टैंपंस	12%

निष्कर्ष यह है कि सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार के नौसिखिएपन की वजह से भारत को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका भी हाथ से निकल गया।